भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2348
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

एनआईटी, आईआईटी और चिकित्सा संस्थानों में रिक्तियां

2348. श्री ए. राजा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या उपरोक्त संस्थानों में आरक्षित श्रेणियों सहित बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ.) क्या आरक्षित श्रेणी की सीटों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया गया है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): देश में वर्तमान में 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर (आईआईईएसटी) और 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो क्रमशः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान अधिनियम, 2007 और प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा संबंधित अधिनियमों के तहत बनाए गए संविधियों द्वारा शासित हैं।

इन संस्थानों में संकाय और गैर-संकाय पदों की स्वीकृति एनआईटी के लिए 1:12 और आईआईटी के लिए **1:10** के संकाय-से-छात्र अनुपात के आधार पर की जाती है, साथ ही दोनों श्रेणियों के संस्थानों के लिए संकाय-से-गैर-संकाय अनुपात 1:1.1 है। यह एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है, जिसकी संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नियतकालिक समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2019 में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, **2019** के अधिनियमन के माध्यम से पहली बार एनआईटी और आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तरों पर आरक्षण लागू किया गया था। इन संस्थानों में भर्ती उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में की जाती है। यह अधिनियम आरक्षण के प्रयोजन से अलग-अलग विभागों के बजाय विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षणिक

संस्थान को एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उसी विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकते हैं; किसी भी आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी रिक्त पद उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्ति के रूप में अगले भर्ती चक्र(चक्रों) में तब तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा जब तक कि उसे भर न लिया जाए।

रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। ये रिक्तियाँ पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, योजनाओं या परियोजनाओं, तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की बढ़ी हुई संख्या और क्षमता विस्तार के कारण उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में लंबित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाएँ। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के रिक्त पदों सहित इन रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 12.07.2025 (अर्थात अंतिम रोजगार मेले की तिथि) तक, सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में 16,507 संकाय पदों सहित कुल 28,450 पदों को भरा जा चुका है। इसमें एनआईटी में 4223 संकाय पदों सहित कुल 6551 पद और आईआईटी में 2896 संकाय पदों सहित कुल 7092 पद शामिल हैं।

इसी प्रकार, सुपर स्पेशियलिटी और मेडिकल संस्थानों में पदों की भर्ती और सृजन एक सतत प्रक्रिया है, जो योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता, आरक्षण रोस्टर, संस्थान के स्थान आदि पर निर्भर करती है। संस्थान आवश्यकतानुसार संविदा या आउटसोर्स आधार पर भी स्टाफ की नियुक्ति करते हैं। रिक्तियों को भरने में तेजी लाने के लिए, सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें संकाय भर्ती के लिए प्रत्येक एम्स में स्थायी चयन समिति की स्थापना, एम्स के लिए जूनियर और सीनियर रेजिडेंट (शैक्षणिक) का चयन करने के लिए वर्ष में दो बार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (आईएनआई-सीईटी) और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान सुपर स्पेशियलिटी (आईएनआई-एसएस) परीक्षा आयोजित करना, एम्स और केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए एम्स दिल्ली द्वारा वर्ष में दो बार केंद्रीकृत नर्सिंग अधिकारी भर्ती समान पात्रता परीक्षा (एनओआरसीईटी) आयोजित करना, और एम्स और केंद्र सरकार के अस्पतालों में ग्रुप ख और ग के गैर-संकाय पदों के लिए एम्स दिल्ली द्वारा समान भर्ती परीक्षा (सीआरई) आयोजित करना शामिल है।

--*-*-*